अधिप्रमाणित

(रविशंकर प्रसाद)
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास
डिजाइन रजिस्ट्री

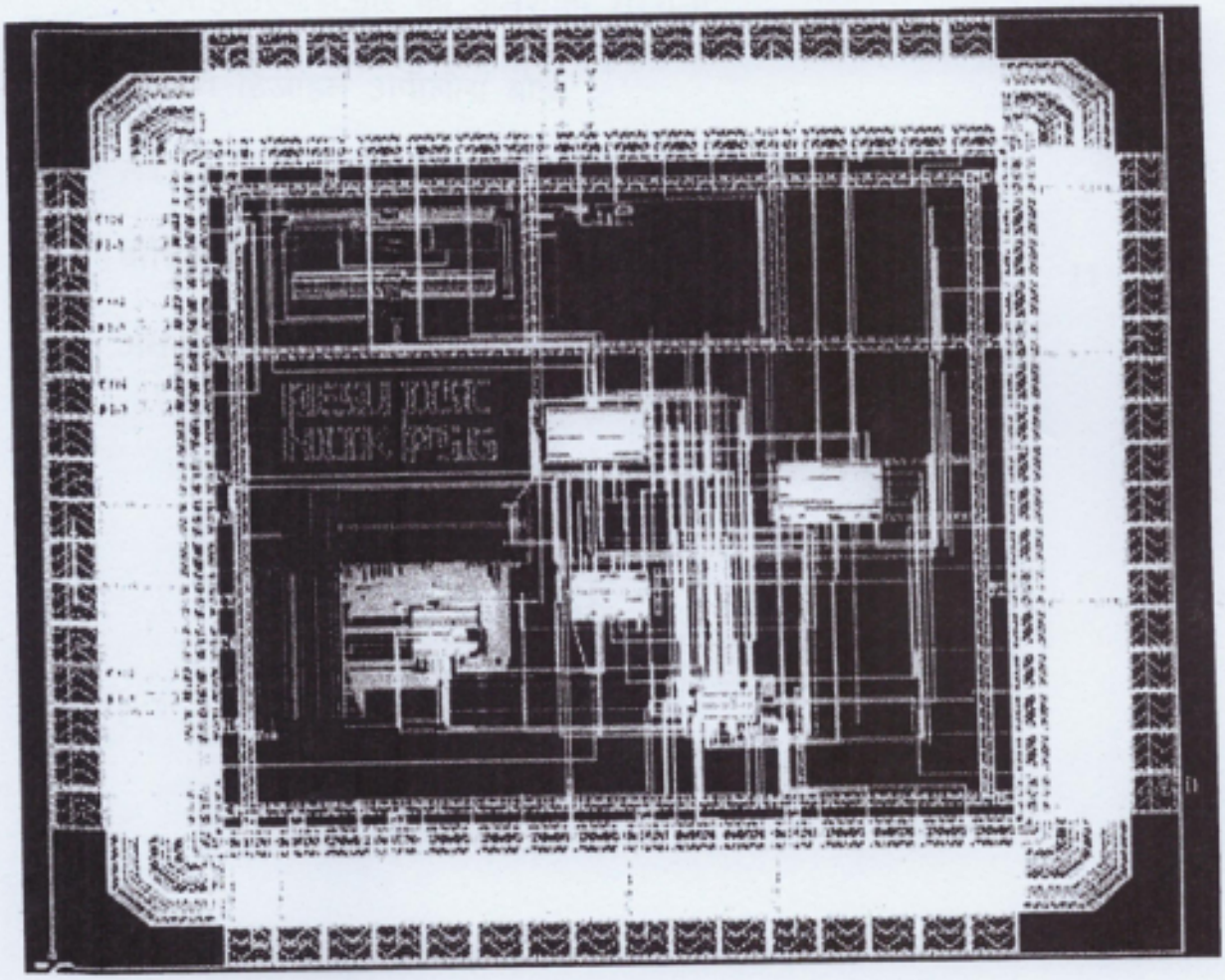

वार्षिक प्रतिवेदन
2014-15

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	एसआईसीएलडी अधिनियम–2000 का सिंहावलोकन	2
2.	रजिस्ट्री की संकल्पना, मिशन, उद्देश्य और कार्य	4
3.	एसआईसीएलडीआर की जनशक्ति संरचना	6
4.	परिपथ डिजाइन अपीलीय बोर्ड	8
5.	लक्ष्य और उपलब्धियां	9
6.	वार्षिक लेखा	11
7.	अनुबंध	

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम 2000 का सिंहावलोकन

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 अर्धचालक एकीकृत परिपथ (आईसी) डिजाइनों को संरक्षण प्रदान करता है । अर्धचालक एकीकृत परिपथ अर्धचालकों, धातुओं, डाईइलेक्ट्रिक(इंसूलेटर) और अन्य सामग्री की कई परतों को मिलाकर सब-स्ट्रेट पर फेब्रीकेट किए जाते हैं । एसआईसीएलडी नियम और अधिनियम, इन परतों के तीन विमाओं वाले संरूपण को एकीकृत परिपथ अभिन्यास के रूप में संदर्भित करता है। किसी एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के पंजीकरण के लिए डिजाइन निम्नलिखित मानदंडों के तहत होना चाहिए:-

- मूल
- सुस्पष्ट
- किसी अन्य अभिन्यास डिजाइन से अलग किए जाने में सक्षम
- भारत में अथवा किसी कंवेंशन देश में कहीं भी वाणिज्यिक दोहन न किया गया हो ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के बौध्दिक सम्पदा अधिकार के व्यापार संबंधी पक्षों (ट्रिप्स) समझौते की धारा 6 के तहत सदस्य देशों ने अभिन्यास डिजाइनों को संरक्षण प्रदान करने हेतु सहमति व्यक्त की अर्थात एकीकृत परिपथों की स्थल कृतियां, उत्पादों और सेवाओं के बौध्दिक सम्पदा अधिकारों के सृजन/सुरक्षा/व्यापारिक पक्षों की कानूनी रूपरेखा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए । भारत ट्रिप्स समझौते का हस्ताक्षरी है। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन अधिनियम के तहत पंजीकृत स्वामियों को अभिन्यास डिजाइन का उपयोग करने का स्वाभाविक अधिकार, इसका वाणिज्य दोहन करने और किसी उल्लघंन के संबंध में राहत प्राप्त करने के अधिकार दिए गए हैं ।

इस अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन अधिनियम 2000 की धारा 96 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन नियमावली 2001" शीर्षक से नियम तैयार किये गए और दिनांक 11 दिसम्बर 2001 को भारत के असाधारण राजपत्र की सं 615 के जरिये अधिसूचित किये गए | ये नियम, अन्य विषयों के साथ-साथ अर्धचालक एकीकृत परिपथ के मूल अभिन्यास डिजाइन के पंजीकरण की कार्यविधि निर्धारित करते है | एसआईसीएलडी अधिनियम और नियमों का विवरण *sicldr.gov.in*. वेबसाइट में अपलोड किया गया है ।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर) कार्यालय है जहां सृजित आईपीआर के पंजीकरण के लिए एकीकृत परिपथों के अभिन्यास डिजाइनों के संबंध में आवेदन दायर किए जाते हैं । यह रजिस्ट्री तृतीय तल, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, 6, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110 003 में स्थित है ।

इस रजिस्ट्री का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण भारत है । अर्धचालक एकीकृत परिपथ डिजाइन (एसआईसीएलडी) अधिनियम, 2000 तथा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन (एसआईसीएलडी) नियम, 2001 में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्री एकीकृत परिपथों के अभिन्यास डिजाइनों की जांच करके अर्धचालक एकीकृत परिपथों के मूल अभिन्यास डिजाइन के डिज़ाइन कर्ताओं को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करता है ।

रजिस्ट्री की संकल्पना, मिशन, उद्देश्य और कार्य

संकल्पना :

- देश में अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइनों को बढ़ावा देना।

मिशन :

- अर्धचालक एकीकृत परिपथ अर्थात अभिन्यास डिजाइनां की बौध्दिक सम्पदा के उत्पादन हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य :

- अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइनों और इससे संबंधित और अनुषंगी मामलों का संरक्षण।
- अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइनों की बौध्दिक सम्पदा का संरक्षण करने के लिए जागरूकता पैदा करना।

कार्य :

- अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार अर्ध्दचालक एकीकृत परिपथों की मूल अभिन्यास डिजाइन का संरक्षण करना।
- अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइनों की बौध्दिक सम्पदा के संरक्षण को बढ़ावा देना।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, दिनांक 1 मार्च 2004 की अधिसूचना द्वारा एक रजिस्ट्री, अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर), जिसका मुख्य कार्यालय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, 6-सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में स्थित है, के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त कार्यों को करना तथा उद्देश्यों को पूरा करना। इस रजिस्ट्री का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत है।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री को 01 मई 2011 से चालू किया गया और अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एसआईसीएलडी) अधिनियम, 2000 की धारा (1(1और 2), 2, 3(2), 4, 6 से 31, 54, 56 से 92, 95 और 96 को लागू किया गया है ।

रजिस्ट्री द्वारा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एसआईसीएलडी) अधिनियम, 2000 और अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एसआईसीएलडी) नियम, 2001 में बताए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार समेकित परिपथों के डिजाइन की जांच की जाती है

तथा अर्धचालक एकीकृत परिपथों के मूल अभिन्यास डिजाइन को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। अब तक एक अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन पंजीकृत की गई है ।

एसआईसीएलडीआर की जनशक्ति संरचना

केन्द्र सरकार ने एसआईसीएलडी अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार एक रजिस्ट्रार नियुक्त किया है। एसआईसीएलडी अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों के अनुसार उक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी जिन्हें समय समय पर ऐसे कार्यों के निर्वहन के प्रयोजन हेतु उपयुक्त पाया जाएगा, जिन्हें इनके निर्वहन का अधिकार दिया जाएगा।

दिनांक 17.06.2014 के कार्यालय आदेष संख्या 2(13)/2010- का.I के तहत श्री पुण्यब्रत घटक, वैज्ञानिक 'ई', इलेक्ट्रॉनिकी में अनुसंधान एवं विकास समूह, डीईआईटीवाई को एसआईसीएलडीआर रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है ।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ डिजाइन रजिस्ट्री की प्रशासनिक गतिविधियों की देखरेख के लिए निम्नानुसार प्रशासनिक अधिकारियों / कर्मचारियों को कार्य सौंपा गया है :

1. वैयक्तिक सहायक (पूर्णकालिक) - 1
2. अवर श्रेणी लिपिक (पूर्णकालिक) - 1

रजिस्ट्री में विभिन्न स्तरों पर पदों के सृजन की प्रक्रिया आरम्भ की गई है । रजिस्ट्रार के पद का सृजन कर दिया गया और शेष पदों के सृजन और तत्पश्चात उन पर भर्ती करना फिलहाल डीईआईटीवाई के विचाराधीन है ।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 'सेवा शर्त नियमावली' शीर्षक से 'मसौदा' नियम तैयार किए गए हैं और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किए गए हैं ।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के लिए निम्नलिखित तकनीकी और गैर-तकनीकी जनशक्ति का अनुमान लगाया गया है:-

क्र.सं.	पद	सं.	स्तर
1	रजिस्ट्रार	1	8700/-रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-4 में वैज्ञानिक 'ई'
2	उप-रजिस्ट्रार (तकनीकी)	2	7600/-रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 में वैज्ञानिक 'डी'
3	उप-रजिस्ट्रार (विधिक)	1	7600/-रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 में उप सचिव/संयुक्त निदेशक

4	संयुक्त निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)	1	7600/-रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 में उप सचिव/संयुक्त निदेशक
5	अनुभाग अधिकारी	1	4800/- रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-2
6	तकनीकी अधिकारी	1	5400/- रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-2 में 9300/- से 34800/- रु.
7	सहायक	2	4200/- रु. के ग्रेड वेतन सहित
8	निजी सचिव	1	4800/- रु. के ग्रेड वेतन सहित
9	वैयक्तिक सहायक	4	4200/- रु. के ग्रेड वेतन सहित

यह वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विचाराधीन है ।

तकनीकी जनशक्ति के साथ-साथ गैर-तकनीकी जनशक्ति की यह आवश्यकता अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री में अनुमानित कार्य की वर्तमान मात्रा पर आधारित है । तथपि, भावी आवश्यकता, कार्य की वास्तविक मात्रा के आधार पर परिवर्तित हो सकती है ।

परिपथ डिज़ाइन अपीलीय बोर्ड (एलडीएबी)

अभिन्यास डिज़ाइन अपीलीय बोर्ड (एलडीएबी) एक अपीलीय बोर्ड है, जो एसआईसीएलडी अधिनियम, 2000 की धारा 32 के तहत अथवा इसके द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार, शक्तिया और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए स्थापित किया जाना है । एलडीएबी का गठन धारा 33 द्वारा वर्णित किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य जैसे न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य शामिल हैं। एलडीएबी के क्षेत्राधिकार, शक्ति और प्राधिकार का प्रयोय एक खंडपीठ द्वारा किया जा सकता है ।

एसआईसीएलडी अधिनियम की धारा 55 के अनुसार अध्यक्ष, आईपीएबी के तहत एसआईसीएलडी अधिनियम के मामलों से निपटने के लिए व्यापार चिह्न अधिनियम 1999 की धारा 83 के अधीन गठित बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) की खंडपीठ में एक तकनीकी सदस्य नियुक्त करने और उसे बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान प्रदान किया गया है | यह संक्रमणकालीन व्यवस्था एसआईसीएलडी अधिनियम की धारा 32 के तहत परिपथ डिजाइन अपीलीय बोर्ड की स्थापना तक रहेगी | बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड का मुख्यालय चेन्नै में स्थित है |

एसआईसीएलडी अधिनियम की धारा 55 के अतंर्गत नियुक्त किए जाने वाले तकनीकी सदस्य को एसआईसीअलडी अधिनियम के मामलों, जैसे रजिस्ट्रार, एसआईसीअलडी के निर्णय के खिलाफ अपील, रॉयल्टी का निर्णय, पंजीकरण आदि के रद्द होने, से निपटने के लिए आईपीएबी के तहत गठित खंडपीठ का तकनीकी सदस्य समझा जाएगा |

तकनीकी सदस्य, एलडीएबी का पद सृजित कर दिया गया है और एसआईसीएलडी अधिनियम की धारा 55 के अतंर्गत एलडीएबी की संक्रमणकालीन व्यवस्था के लिए औद्योगिकी नीति एवं संवर्द्धन विभाग और विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से कार्रवाई आरम्भ की गयी|

परिपथ डिजाइन अपीलीय बोर्ड (एलडीएबी) के तकनीकी सदस्य तथा उसके सहयोगी कर्मचारियों के लिए “सेवा शर्त नियमावली” शीर्षक के अंतर्गत “मसौदा” नियमावली तैयार कर ली गयी है तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है |

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां

अर्धचालक एकीकृत परिपथ डिजाइन रजिस्ट्री में किये गए विभिन्न कार्यकलापों के व्यापक लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

लक्ष्य

आवेदकों को अभिन्यास डिजाइन पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना ।

उपलब्धि

अभिन्यास डिजाइन पंजीकरण के लिए मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अभिन्यास डिजाइन सं. 1(1)/2013 को "8-पोर्टमाइक्रोकंट्रोलर (बीई 80501)" के लिए एसआईसीएलडीआर द्वारा पहला प्रमाण-पत्र जारी किया गया ।

लक्ष्य

एसआईसीएलडी रजिस्ट्री की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए नई परियोजना शुरू करना।

उपलब्धि

रजिस्ट्री द्वारा सी-डैक, दिल्ली के माध्यम से "एसआईसीएलडीआर के आईटी समर्थ प्रचालन, रख-रखाव और जागरूकता पर प्रायोगिक परियोजना" शीर्षक के अतंर्गत एक परियोजना शुरू की गई है । परियोजना का उद्देश्य देश में उपलब्ध आईसी अभिन्यास डिजाइन पंजीकरण तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करना और विभिन्न कार्यकलापों के कम्प्यूटरीकरण द्वारा एसआईसीएलडीआर का दक्षतापूर्वक प्रचालन करना है ।

लक्ष्य

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन वेबसाइट का रख-रखाव ।

उपलब्धि

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन वेबसाइट का रख-रखाव व समय - समय पर उसे अद्यतन किया जा रहा है | इसके अलावा एसआईसीएलडीआर की वेबसाइट के डिजाइन को भी बेहतर बनाया जा रहा है जिससे कि इसे अधिक आकर्षक और प्रयोक्तानुकूल बनाया जा सके ।

लक्ष्य

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम के तहत "अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन जर्नल" का प्रकाशन ।

उपलब्धि

"अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन जर्नल" शीर्षक के अतंर्गत एसआईसीएलडी अधिनियम के तहत अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री की वेबसाइट पर मासिक आधार पर एक इ-जर्नल प्रकाशित किया जा रहा है ।

लक्ष्य

एसआईसीएलडी अधिनियम की धारा 93 और 94 को लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों में अधिसूचना प्रस्तुत करना ।

उपलब्धि

एसआईसीएलडी अधिनियम की धारा 93 के अतंर्गत कन्वेशन देशों की सूची संबंधी घोषणा जुलाई 2014 में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गयी । कन्वेशन देशों की सूची संबंधी घोषणा को पहले फरवरी, 2014 में अधिसूचित किया गया था ।

लक्ष्य

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन की बौधिक संपदा (आईपी) के संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करना ।

उपलब्धि

उपयुक्त जनशक्ति के अभाव में वर्ष के दौरान कोई भी जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन नही किया जा सका ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान वार्षिक लेखा

इस समय एसआईसीएलडी रजिस्ट्री को कोई वित्तीय अधिकार आबंटित नहीं किए गए हैं। एसआईसीएलडी रजिस्ट्री के संबंध में जारी की जाने वाली सभी धनराशि डीईआईटीवाई की सहमति और अनुमोदन से की जाती हैं।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ डिजाइन रजिस्ट्री को शीर्ष '2852' उद्योग (मुख्य शीर्ष), 07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग (उप मुख्य शीर्ष), 07.202-इलेक्ट्रॉनिकी (लघु शीर्ष), 03-माइक्रो इलेक्ट्रॉनिकी तथा नैनो प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम, 03.05-अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम के तहत 75 लाख रु. के बजट का आबंटन निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार किया गया था :

क्र.सं.	**विवरण**	**बजट अनुमान**	**वास्तविक व्यय**
1	वेतन	31.50 लाख रुपये	0
2	चिकित्सा उपचार का खर्च	03.50 लाख रुपये	0
3	घरेलू यात्रा के खर्च	01.00 लाख रुपये	0
4	कार्यालय व्यय	22.00 लाख रुपये	0.2975 लाख रुपये
5	सहायता अनुदान सामान्य	15.00 लाख रुपये	15.00 लाख रुपये
6	अन्य शुल्क	02.00 लाख रुपये	0
	कुल	**75.00** लाख रुपये	**15.2975** लाख रुपये

चुंकि, रजिस्ट्री में तैनात जनशक्ती विभाग से है, अतः अन्य शीर्षों के लिए आवंटित धनराशी का उपयोग नहीं किया जा सका |

Authenticated

(Ravi Shankar Prasad)
Minister for Communications & I.T

SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUITS LAYOUT DESIGN REGISTRY

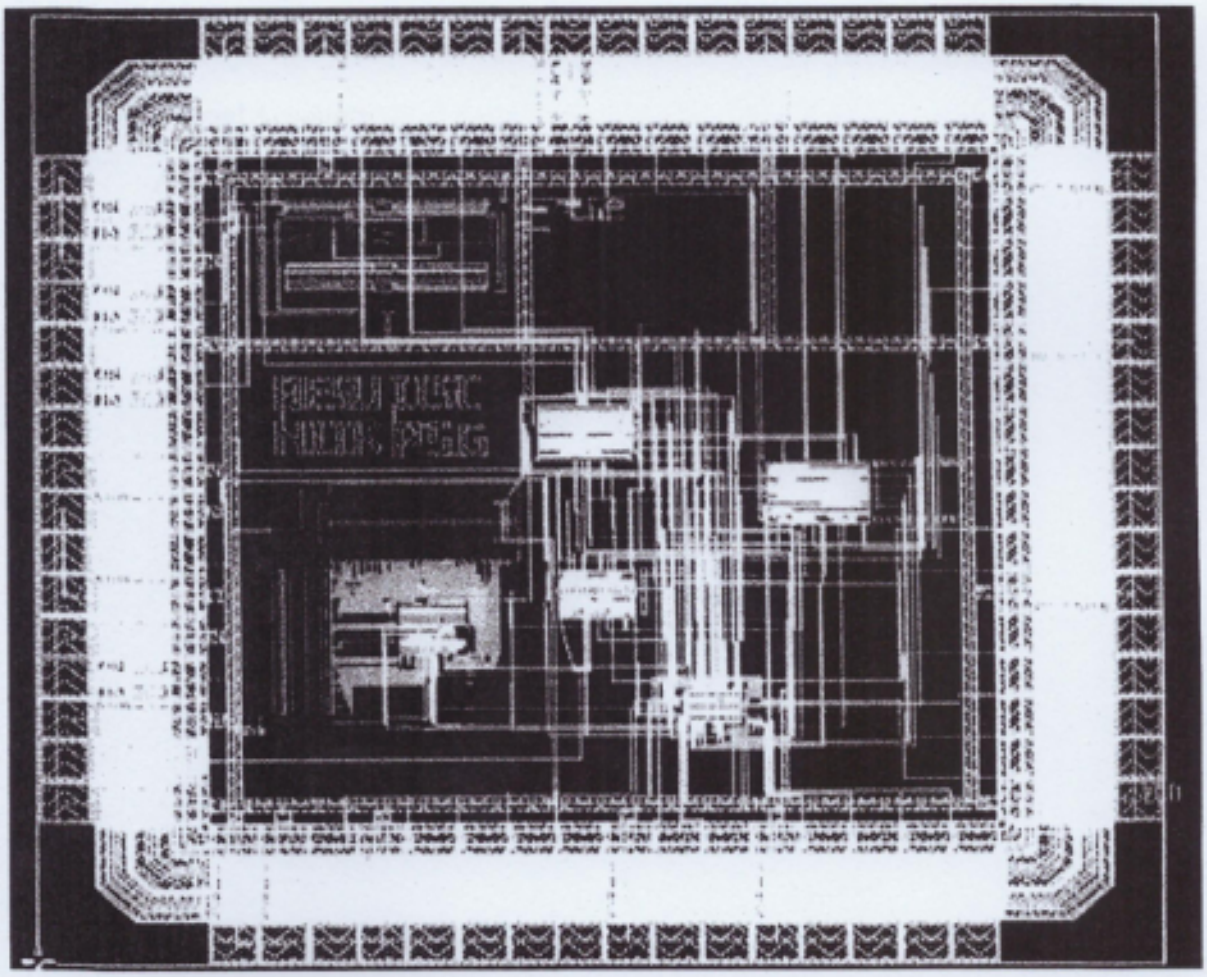

ANNUAL REPORT
2014 – 15

CONTENTS

Sl. No.	Description	Page No.
1.	Overview of the SICLD Act 2000	2
2.	Vision, Mission, Objectives and Functions of the Registry	3
3.	Manpower structure of SICLDR	4
4.	Layout Design Appellate Board	6
5.	Targets and Achievements	7
6.	Annual Accounts	9
7.	Annexure	

Overview of the Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Act 2000

The Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Act 2000 provides protection for semiconductor IC layout designs. Semiconductor Integrated circuits are fabricated from a complex series of layers of semiconductors, metals, dielectrics (insulators) and other materials on a substrate. The Act and Rules refer to the three dimensional configuration of these layers as an integrated circuit layout. The criteria for registration of an integrated circuit layout design is that it should be:-

- Original
- Distinctive
- Capable of distinguishing from any other layout design
- Have not been commercially exploited anywhere in India or in a convention country.

Under Section 6 of Trade related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Treaty of the World Trade Organization (WTO), the Member Countries have agreed to provide protection to IC layout designs, i.e., topographies of integrated circuits, to cater to legal framework of creation / protection / trading aspects of intellectual property rights of products and services by member nations. India is signatory to TRIPs Agreement. The Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act empowers the registered proprietor of the layout-design an inherent right to use the layout-design, commercially exploit it and obtain relief in respect of any infringement.

In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 96 of this Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act 2000, the Rules entitled "Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Rules 2001" were formulated and notified in the Gazette of India Extraordinary No. 615 dated 11th December 2001. These Rules, inter alia, prescribe the procedure for registration of an original layout design of a semiconductor integrated circuit. The details of the SICLD Act and Rules are uploaded in the website *sicldr.gov.in*.

Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Registry (SICLDR) is the office where the applications on Layout-Designs of integrated circuits are filed for registration of created IPR. This Registry is located at 3rd Floor, Electronics Niketan, Department of Electronics & Information Technology, 6 CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003. The jurisdiction of this Registry is whole of India. The Registry, as per the guidelines laid down in the Semiconductor Integrated Circuits Layout Design (SICLD) Act 2000 and the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design (SICLD) Rules 2001, examines the layout-designs of the Integrated Circuits and issues the Registration Certificate to the original layout-designs of the Semiconductor Integrated Circuits.

Vision, Mission, Objectives and Functions of the Registry

Vision

- Promotion of Semiconductor Integrated Circuits Layout Designs in the country.

Mission

- Act as a catalyst for generation of Intellectual Property of Semiconductor Integrated Circuits Layout Designs.

Objectives

- Protecting Intellectual Property of Semiconductor Integrated Circuits and matters connected therewith and incidental thereto.
- Create awareness for protection of Intellectual Property of Semiconductor Integrated Circuits Layout Designs.

Functions

- Protection of original Layout-Designs of Semiconductor Integrated Circuits as per the provisions of the Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Act 2000.
- Promote registration of Intellectual Property of Semiconductor Integrated Circuits Layout Designs.

To carry out the above functions and to meet the objectives as per the provisions of the Semiconductor Integrated Layout Design Act, a Registry vide notification dated 1st March 2004 known as the Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Registry (SICLDR) was established with Head Office at Department of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, C.G.O Complex, New Delhi - 110 003. The jurisdiction of this Registry is whole of India.

The SICLD Registry was made operational w.e.f. 1st May 2011 and Section 1 (1&2), 2, 3(2), 4, 6 to 31, 54, 56 to 92, 93, 94, 95 and 96 of the said Act have been brought into force.

The Registry, as per the guidelines laid down in the Semiconductor Integrated Circuits Layout Design (SICLD) Act 2000 and the Semiconductor Integrated Circuit Layout Design (SICLD) Rules 2001, examines the layout designs of the Integrated circuits and issues the Registration Certificate to the original layout designs of semiconductor Integrated Circuits. One Semiconductor Integrated Circuit Layout Design has been registered so far.

Manpower Structure of SICLD Registry

Central Government appoints a Registrar as per Section 3(1) of the SICLD Act. As per Section 3(2) of the SICLD Act, Central Government will appoint such other officers with such designations as it thinks fit for the purpose of discharging such functions as the Registry may from time to time authorize them to discharge.

Shri Punyabrata Ghatak, Scientist `E', R&D in Electronics Group, DeitY has been assigned the additional charge of the post of Registrar, SICLD Registry vide Office Order No. 2(13)/2010-Pers.I dated 17.06.2014.

The administrative officer/ staff currently assigned to look after the administrative activities of the Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Registry are as follows:-

1. L.D.C. (Full Time) - 1 No.
2. Personal Assistant (Full Time) - 1 No.

Process has been initiated for creation of posts at various levels in the Registry. The post of Registrar has been created and the creation & subsequent filling up of rest of the positions are currently under consideration of DeitY.

The 'Draft' Rules entitled 'Conditions of Service Rules' for the Registrar and other officers/ staff of Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Registry have been prepared and submitted for further necessary action.

Following requirement of technical & non-technical manpower has been projected for the SICLD Registry:-

Sl.#	Post	No.	Level
1	Registrar	1	Scientist 'E' in PB-4 with Grade Pay Rs. 8700/-
2	Deputy Registrar (Technical)	2	Scientist 'D' in PB-3 with Grade Pay Rs. 7600/-
3	Deputy Registrar (Legal)	1	Deputy Secretary/ Joint Director in PB-3 with Grade Pay Rs. 7600/-
4	Joint Director (Admin & Finance)	1	Deputy Secretary/ Joint Director in PB-3 with Grade Pay Rs. 7600/-
5	Section Officer	1	PB-2 with Grade Pay Rs. 4800/-
6	Technical Officer	1	Rs. 9300/- to Rs. 34800/- with Grade Pay Rs. 5400/-
7	Assistant	2	Grade Pay Rs. 4200/-
8	Private Secretary	1	Grade Pay Rs. 4800/-
9	Personal Assistant	4	Grade Pay Rs. 4200/-

This is currently under consideration of Department of Electronics & Information Technology.

This requirement of technical as well as non-technical manpower is based on the present quantum of work anticipated in the Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Registry. However, the future requirement may change depending on the actual quantum of work.

Layout Design Appellate Board (LDAB)

Layout Design Appellate Board (LDAB) is an Appellate Board to be established under the Section 32 of the SICLD Act, 2000 to exercise the jurisdiction, powers and authority conferred on it by or under this Act. Section 33 describes the composition of the LDAB which comprises of a Chairperson, Vice-Chairperson and other members such as Judicial Member and Technical Member. The jurisdiction, power and authority of the Layout Design Appellate Board may be exercised by a Bench.

Section 55 of the SICLD Act provides for appointing a Technical Member and including him/her in the Bench of Intellectual Property Appellate Board (IPAB) constituted under Section 83 of the Trade Mark Act 1999 for dealing with the matters of SICLD Act under the Chairman, IPAB as a transitional arrangement till the establishment of Layout Design Appellate Board under Section 32 of the Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Act. The Intellectual Property Appellate Board has its headquarters at Chennai.

Under section 55 of the SICLD Act, Technical Member to be appointed shall be deemed to be the Technical Member for constituting the Bench of IPAB for dealing with matters of SICLD Act such as appeals against the decisions of the Registrar, SICLDR, determination of royalty, cancellation of registration etc. against the decision of Registrar.

The post of Technical Member, Layout Design Appellate Board has been created and action has been initiated for transitional arrangement under Section 55 of SICLD Act 2000 in consultation with D/o Industrial Promotion and Policy and M/o Law and Justice.

The 'Draft' Rules entitled 'Conditions of Service Rules' of Technical Member and other supporting officers/ staff of Layout-Design Appellate Board (LDAB) have been prepared and further necessary actions are being taken.

Targets and Achievements during the Financial Year 2014-15

The following are the broad targets and achievements of various activities carried out in Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Registry:-

- **Target**

Issue of Layout Design Registration Certificate to the applicants

Achievement

The first certificate of registration of Layout Design was issued by the SICLD Registry to M/s. Bharat Electronics Ltd. (Layout Design No. 1(I)/2013) for the 8 port Micro-controller (BE 80501).

- **Target**

Initiation of new project to improve the functioning of SICLD Registry

Achievement

A project named "Pilot project on IT Enabled operation, maintenance & awareness of SICLDR" to be implemented by C-DAC Delhi has been initiated by the Registry. The objective of the project is to create awareness about the IC Layout Design registration mechanism available in the country and efficient operation of the SICLD Registry by computerising various activities.

- **Target**

Maintenance of Semiconductor Integrated Circuits Layout Design website

Achievement

Semiconductor Integrated Circuits Layout Design web site is being maintained and updated from time to time. Also, the design of the SICLDR website is being revamped to make it more attractive and user friendly.

- **Target**

Publishing "Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Journal" under the Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Act

Achievement

Under SICLD Act, an e-journal is being published on the website of Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Registry entitled “Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Journal” on monthly basis.

- **Target**

Laying the notification for bringing into force sections 93 & 94 in both the houses of the Parliament

Achievement

Declaration of the list of convention countries under section 93 of the SICLD Act was layed in both the houses of the Parliament in July' 2014. The declaration of the list of convention countries was earlier notified in Feb' 2014.

- **Target**

Creating awareness for protection of Intellectual Property (IP) of Semiconductor Integrated Circuits Layout Designs

Achievement

No awareness programs were conducted during the year due to lack of appropriate manpower.

Annual Accounts for the Financial Year 2014-15

At present no financial powers are allocated to the SICLD Registry. All releases w.r.t SICLD Registry are made with the concurrence & approval of DeitY.

The Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Registry was allocated Budget of Rs. 75 Lakhs under the Head "2852" Industries (Major Head), 07 – Telecommunication and Electronics Industries (Sub Major Head), 07.202 – Electronics (Minor Head), 03 – Micro Electronics & Nano-Tech Development Programme, 03.05 – Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Act as per the following breakup.

Sl.#	Particulars	Budget Estimates	Actual Expenditure
1	Salaries	Rs. 31.50 Lakhs	0
2	Medical Treatment Expenses	Rs. 3.50 Lakhs	0
3	Domestic Travel Expenses	Rs. 1.00 Lakhs	0
4	Office Expenses	Rs. 22.00 Lakhs	Rs. 0.2975 Lakhs
5	Grant-in Aid General	Rs. 15.00 Lakhs	Rs. 15.00 Lakhs
6	Other Charges	Rs. 2.00 Lakhs	0
	Total	**Rs. 75.00 Lakhs**	**Rs. 15.2975 Lakhs**

Since, the manpower posted in the Registry is from the Department, the funds allocation for other heads could not be utilized.

Annexure अनुबंध

FORM OLD-2

GOVERNMENT OF INDIA

THE SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUTS LAYOUT DESIGN REGISTRY

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(Section 13(2) rule 46(I))

Layout Design no. 1(I)/2013

Dated: 25th April. 2014

Certified that the layout-design **8 PORT MICROCONTROLLER (BE 80501)** of which a drawing /~~photograph~~ (complete ~~or blocked out~~) is annexed herewith, has been registered in the register in the name of **M/s. Bharat Electronics Limited** as of date **25th April. 2014.**

Sealed at my direction this 20th day of January, 2015.

Registrar of the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design

SCLDR, NEW DELHI Govt. of India

Registration is for 10 years from the date first above mentioned.

This certificate is not for use in legal proceedings or for obtaining registration abroad.

Note: Upon any change of ownership of the layout design or change in address of the principal place of business or address of service in India, applicant should at once be made to register the charge.

8 Port Microcontroller

Schematic diagram of functional blocks

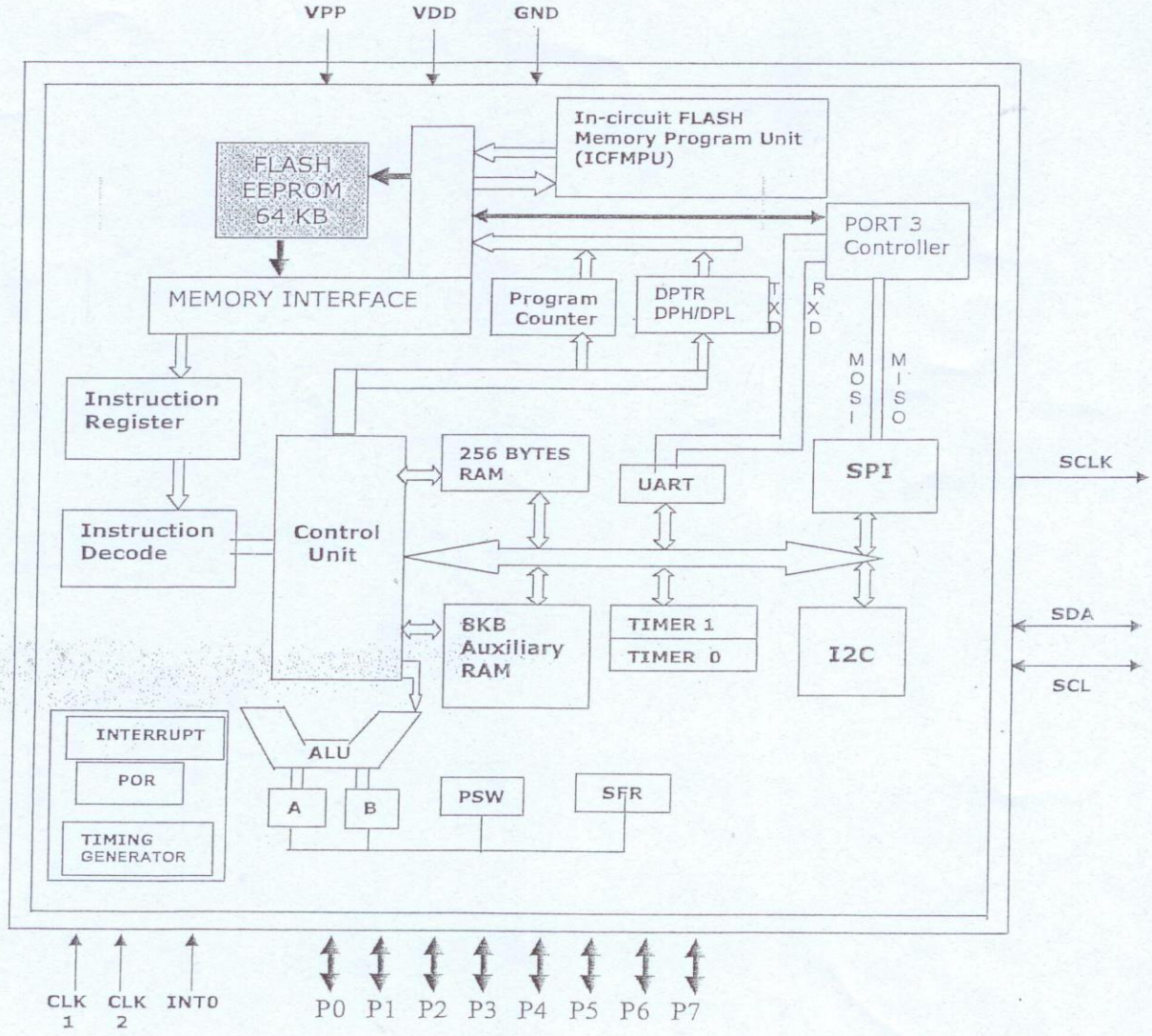

Indigenous IP Blocks

Foundry provided block

SICLDR, NEW DELHI Govt. of India

(MRS.A.V.NATHAN)
AGENT FOR THE APPLICANT

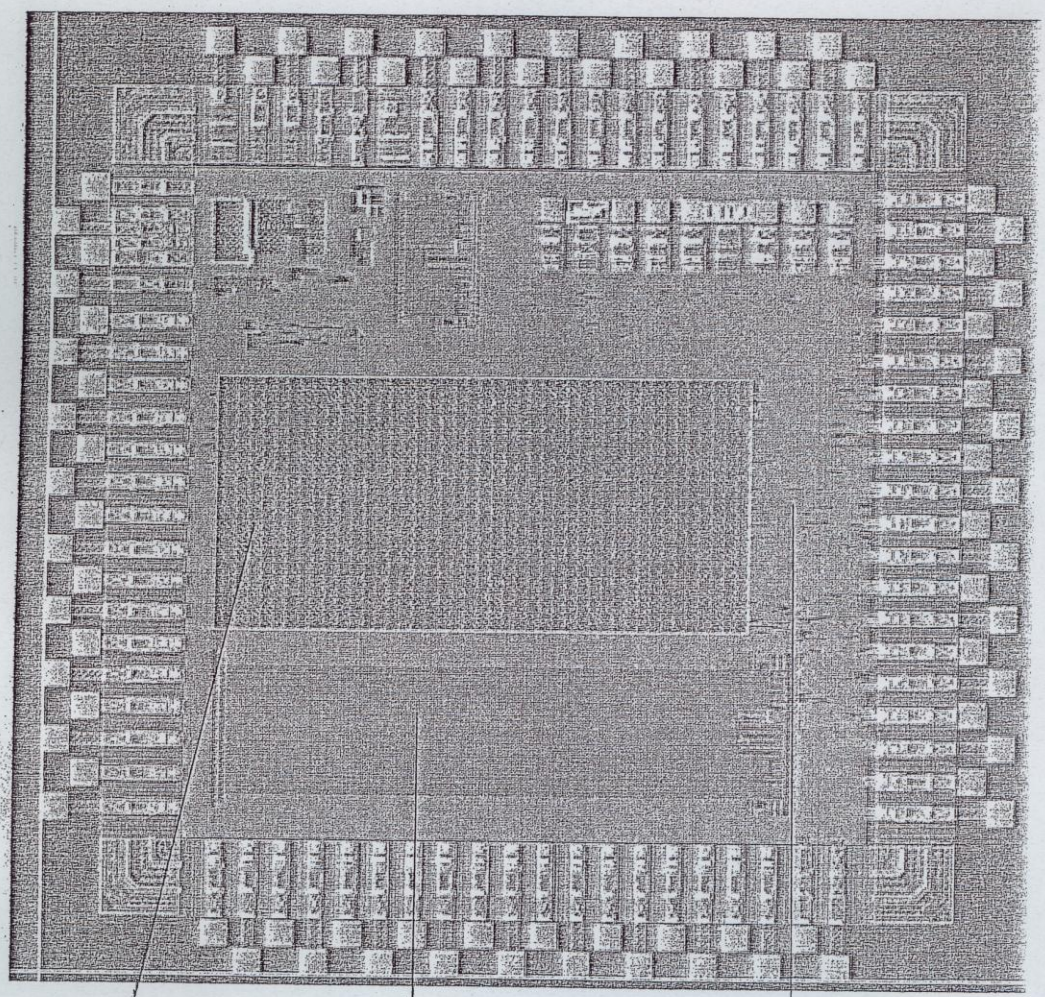

SICLDR. NEW DELHI
Govt. of India

(MRS.A.V.NATHAN)
AGENT FOR THE APPLICANT